

290

माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर



निगरानी 2197-11-15

रामगोपाल केवट पिता मोहनलाल केवट, निवासी ग्राम-जोगिनिहाई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता

बनाम

1. भगवानदीन पिता अमीरे मुड़हा, निवासी ग्राम-महसुआ, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा (म0प्र0)

1. शासन म0प्र0

-----प्रत्यर्थागण

श्री सुकेशा शर्मा, का
द्वारा आज दि. 15-7-15 को
प्रस्तुत

15-7-15
राजस्व मण्डल म0प्र0

सुकेशा शर्मा
15-7-15 को
ग्वालियर

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित हैं :-

यह कि आराजी नं. 584/1 रकवा 0.138 हे. स्थित मौजा जोगिनिहाई तहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा (म0प्र0) निगरानीकर्ता की पैतृक आराजी हैं, किन्तु भूमिस्वामी कॉलम नं. 3 में प्रत्यर्था क्रमांक 1 का नाम अंकित चला आ रहा है। उक्त आराजी के अंश रकबा 0.040 हे. पर निगरानीकर्ता का आज से करीब 20 वर्ष पूर्व से आवासीय निस्तार चला आ रहा है। निगरानीकर्ता के नाम आराजी नं. 584/1 के अंश रकवा 0.040 हे. यानी 0.10 एकड़ पर तहसीलदार तहसील-रायपुर कर्चु.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2197-दो/2015

जिला-रीवा

रामगोपाल केवट विरुद्ध भगवानदीन व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 3/अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 29-06-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>25/2/19</p>